

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5525  
26.07.2019 को उत्तर के लिए

**ई-अपशिष्ट**

5525. डॉ० ए० चैल्ला कुमार:  
श्रीमती पूनम महाजन:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में ई-अपशिष्ट संबंधी कोई जानकारी संग्रहित की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महानगरों सहित देश में उत्पादित ई-अपशिष्ट की प्रमात्रा कितनी है और इसकी वृद्धि की दर क्या है;
- (घ) ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में ई-अपशिष्ट के उत्पादन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) से (ग) वर्ष 2005 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में 1.47 लाख टन ई-अपशिष्ट का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय रिपोर्ट "द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2017" में वर्ष 2016 में देश में 20 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न होने की जानकारी दी गई थी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश में ई-अपशिष्ट के एक समान सूचीकरण हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(घ) और (ङ.) देश की आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों के उच्च अप्रचलन दर के साथ प्रौद्योगिकीय नवाचारों के परिणामस्वरूप, ई-अपशिष्ट की सृजन दर में वृद्धि हुई है। ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2016 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण पर ई-अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम करने के लिए देश में उत्सर्जित ई-अपशिष्ट का प्राधिकृत भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रणालन करना है। सभी प्रमुख हितधारकों जैसे उत्पादकों, विनिर्माताओं, भंजनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं, संग्रहण केन्द्रों, डीलरों, नवीकरणकर्ताओं, उपभोक्ताओं, थोक उपभोक्ताओं आदि को ई-अपशिष्ट के हथालन, प्रबंधन और निपटान के विभिन्न पहलुओं के निराकरण हेतु उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। इन नियमों में आगे विस्तारित उत्पादकों के उत्तरदायित्व (ईपीआर) भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों (आरओएचएस) का न्यूनीकरण, उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) का पंजीकरण, उत्पादक द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस लेने की स्कीम आदि के लिए प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकारों को ई-अपशिष्ट के भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए उद्योग स्थापित करने की अलग जगह रखने और औद्योगिक कौशल विकास करने और ई-अपशिष्ट के भंजन और पुनर्चक्रण में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर्यावरण अनुकूल विधि से ई-अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्रालय ने "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ( पीसीबी) -फेस-II से धातुओं की पुनःप्राप्ति के लिए पर्यावरण अनुकूल विधियाँ" नामक शीर्षक की एक परियोजना के माध्यम से बंगलोर में एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया है, जिसे अगस्त, 2014 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 1126.80 लाख के कुल अनुमानित बजट पर सेन्टर फॉर मैटीरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (सी-एमईटी) हैदराबाद और ई-परिसारा, बैंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए भौतिक पृथक्करण और रासायनिक लीचिंग विधियों के माध्यम से एक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), भुवनेश्वर-रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के तहत स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान में ई-अपशिष्ट के प्लास्टिक को वर्जिन मास्टर बैच में परिवर्तित करने पर एक प्रदर्शन प्रक्रिया भी स्थापित की है, जिसका उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*